न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 163 एवं 164 वर्ष 2013–14

श्री नौशाद

बनाम

अपर तहसीलदार, देहरादून

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री डी0आर0 तिवारी।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता/राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल, शासकीय अधिवक्ता।

बावत

मौजा डाण्डा लखौण्ड, परगना परवादून,
तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

उपरोक्त निगरानियाँ तहसीलदार, देहरादून द्वारा वाद संख्या–1751 एवं 1752 वर्ष 2013 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम नौशाद बनाम मै0 गंगोत्री हाउसिंग कम्पनी में पारित आदेश दिनांक 30–07–2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

दोनों निगरानियों की वाद विषयवस्तु तथा पक्षकार समान होने के फलस्वरूप एक ही आदेश से निस्तारित की जा रही हैं।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क था कि अपर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30–07–2014 से दाखिल खारिज की कार्यवाही इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29–01–2014 के अनुसार मौजा डाण्डा लखौण्ड के खसरा नम्बर 447 रकबा 0.6220 है0 भूमि एवं खसरा नम्बर–446 रकबा 0.6000 है0 भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है जबकि जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29–01–2014 को राजस्व परिषद ने अपने निर्णयादेश दिनांक 16–05–2014 से निरस्त कर दिया था जिसका कि अपर तहसीलदार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। वैसे भी धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार दाखिल खारिज की कार्यवाही पर लम्बित वाद का सिद्वान्त लागू नहीं होता है।

राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता(गोल्डन फारेस्ट) का तर्क था कि निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की है जबकि इस धारा के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकती है। विवादित भूमि गोल्डन फारेस्ट से सम्बन्धित है तथा गोल्डन फारेस्ट से सम्बन्धित वाद अवर न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः ऐसी दशा में निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं है।

मैंने अवर न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा अभिलेखों का अध्ययन किया। अपर तहसीलदार ने जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29–01–2014 का उल्लेख करते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही निरस्त की गई है। अभिलेखों के अवलोकन

से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी का आदेश दिनांक 29–01–2014 पूर्व ही इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16–05–2014 से निरस्त कर दिया गया है और गोल्डन फारेस्ट के वाद भी इस न्यायालय से निर्णीत होकर अवर न्यायालय को निस्तारण हेतु प्रेतिप्रेषित किये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 29–01–2014 को आधार मानकर दाखिल खारिज की कार्यवाही निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दोनों निगरानियाँ स्वीकार कर अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–07–2014 निरस्त कर प्रकरण अवर न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादों का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें। इस आदेश की प्रति निगरानी संख्या–164/2013–14 नौशाद बनाम अपर तहसीलदार की पत्रावली पर भी रखी जाय। अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावलियाँ सँचित हों।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 13/02/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।